

## निविदा

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापक 1218, दिनांक 10.07.2018 के द्वारा प्रेषित नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में मध्याह्न भोजन के खाद्यान्न उठाव एवं विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने के लिए संवेदकों का चयन किया जाना है।

जिलान्तर्गत तीन प्रखंडों में (किरतपुर, जाले एवं घनश्यामपुर) वित्तीय वर्ष 2018-20 के लिए संवेदक चयन किया जाना है। संवेदक के रूप में चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा भवन, करमगंज, दरभंगा के पते पर निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 17-8-18 के 5:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित की जाती है जिसे दिनांक 18-8-18 के पूर्वाहन 11.00 बजे समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खोला जाएगा। उक्त अवसर पर निविदादाता/आवेदनकर्ता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के उपर प्रखंड का नाम जिसके लिए निविदा डाली गई है, स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। एक लिफाफा में एक ही निविदा देनी होगी। संवेदक चयन हेतु निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

1. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखंड हेतु 5 टैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखंड के लिए 8 टैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने टैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएंगे। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड जाले एवं घनश्यामपुर में क्रमशः 08 एवं 05 वाहनों का एकरारनामा निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रु) का अग्रिम सुरक्षित राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा के नाम से जमा करना होगा, जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा के कार्यालय में जमा रहेगा।
3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रु) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस किया जाएगा।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोष जनक कार्य करने पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रु) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।



9. संवेदक चयन होने पर दुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। दुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा एवं उक्त प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी का मोबाईल नम्बर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशु का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशु का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय, दरभंगा द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।
13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात—यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेस एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय, दरभंगा द्वारा वाहन के कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यालय, दरभंगा से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये हैं।
14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID Proof/ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. समान अहर्ता होने की स्थिति में चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
17. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।
18. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्या निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखंड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर

 



## कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा।

359



जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा को अगले माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवहन-सह-हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

19. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति, दरभंगा के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति, दरभंगा का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
20. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा। दो वर्ष समाप्त होने के पहले (31 मार्च तक) नये संवेदक का चयन कर 1 अप्रैल से नये संवेदक के साथ एकरारनामा कर लेना अनिवार्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति में नये संवेदक के चुनाव निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाता है, तो उस प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। प्रखंड साधन सेवी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी मात्र दो ही माह वैकल्पिक तौर पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। यदि उक्त समयावधि के अन्दर चयन नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नये सिरे से निविदा का प्रकाशन किया जायेगा।
21. बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी जिला में संवेदक हेतु निविदा में भाग ले सकता है।
22. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए ही मान्य होगा।
23. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
24. विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट [www.darbhanga.bih.nic.in](http://www.darbhanga.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है, अथवा कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

84  
20.7.18  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा।

20.7.18

20.7.18  
जिला पदाधिकारी,  
-सह- अध्यक्ष,  
जिला स्तरीय संवेदक चयन समिति, दरभंगा।